मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26–अरेरा हिल्स, किसान भवन, जेलरोड, भोपाल.

क्रमांक/मंडी बोर्ड/सी.एम.हेल्पलाइन/2020/1153 भोपाल,दिनांक 12/3/2020

प्रति,

संयुक्त संचालक
म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड आंचलिक कार्यालय
भोपाल, नर्मदापुरम, होशंगाबाद, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर,
ग्वालियर, चंबल, मुरैना, रीवा, सागर

विषयः– सी.एम.हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण के संबंध में त्वरित कार्यावाही करने बाबत।

संदर्भः– कार्यालीन में पत्र क्रमांक बोर्ड/सी.एम.हेल्पलाइन/2020/1080/दिनांक 04.11.2019 एवं पत्र क्रमांक 1129 दिनांक 20.11.20

.........0000............

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है, कि संदर्भित पत्रों द्वारा सी.एम.हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों की समीक्षा कर त्वरित निराकरण किये जाने हेतु निर्देश दिये गये थे। किन्तु सी.एम.हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों में एल–1, एल–2 एवं एल–3 द्वारा पोर्टल पर की गयी प्रविष्टि की समीक्षा करने पर यह तथ्य प्रकाश में आया है कि संबंधित मंडी समिति के सचिव तथा आंचलिक संयुक्त संचालक/उपसंचालक द्वारा एल–3 की शिकायतों में तथ्यात्मक स्थिति पोर्टल पर प्रविष्टि नही की जा रही है। जिससे शिकायतें एल–4 पर परिवर्तित हो रही है।

सी.एम.हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण नही होने से 300/700 दिवस की अवधि की शिकातें लंबित है, उक्त शिकायतों का निराकरण नही होने से शिकायतें जन अधिकार कार्यक्रम (समाधान कार्यवाही) में सम्मिलित हो सकती है। अतः सी.एम.हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों के त्वरित निराकरण हेतु शीघ्र कार्यवाही करने का कष्ट करें।

12/03/20

अपर संचालक
(सी.एम.हेल्पलाइन)
म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रमांक/मंडी बोर्ड/सी.एम.हेल्पलाइन/2020/1154 भोपाल,दिनांक 12/3/2020

1. सचिव कृषि उपज मंडी समिति,............... ज़िला .... की और पालनार्थ ।

12/03/20

अपर संचालक
(सी.एम. हेल्पलाइन)
म0 प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल